

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्री देवीलाल बनाम लाडलाल (वैरा)

सम मुकदमा प्रार्थनापत्र द्वारा III-128 R.N.A नं० 28 सन् 2023

क्र	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14.3.23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
14/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई, उपस्थित पक्षों द्वारा न्यायिक कार्य प्रारंभ करने से पत्रावली दिनांक 28/3/23 को पेश हो।</p>	
28/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील पक्षी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लेकर प्राप्त हुए जिसे शापण किये गये। विपक्षीगण को फितनी बार रुक रुक कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, उनके विकरुद एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील पक्षी का शापण स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शापण किया गया। पत्रावली फेराल शुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला मीलवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसील अधिकारी-हुकमीचन्द रोहतासिया, आर.ए.एस.

प्रार्थना संख्या - 28/23 प्राथपत्र

श्री देवी लाल जे. श्री चर्गागाम बहाल निवासी-भाड़ू तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनान

श्री लालू जे. श्री लख्तावरगाड़ी निवासी-भाड़ू तहसील माण्डल (कॉम)
(सुप्रीम प्रार्थना पत्र संख्या)

-दिनांक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 28-03-23

आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
गाम भाड़ू पटवार हल्का भाड़ू तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते को
आराजी नं. 163, 201, 208, 211, 240, 242 कुल कित्ता 10 रकबा 2-36+1 हेक्टेयर स्थित है। बादप्रस्त भूमि
के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
रहता है। जिससे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगड़ी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20-02-23 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को
अदालतकार्थ से यह बात सिद्ध है कि बादप्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे कारत कारत को होने से पत्थरगड़ी कराने का
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेशः

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भाड़ू पटवार
हल्का भाड़ू तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 163, 201, 208, 211, 240, 242, 248
कुल कित्ता 10 रकबा 2-3699 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ 293, 251, 254 की बुद्धी जमाकारी किये
जाने हेतु पत्थरगड़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगड़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक हुंहरिया
को 900/- रुपये/- कनिश्चर फीस पर कनिश्चर फीस जमा होने पर पत्थरगड़ी की मौजूदगी में नोक व कब्जे
की यथास्थित को बनाये रखते हुए मुस्तकील किन्दु को आधार मानकर पत्थरगड़ी की जाये। फसल खड़ी होने पर
पत्थरगड़ी नहीं की जाये।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

ध्यान दें - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा शक्ति प्राप्त कराने पर नियमानुसार पत्थरगड़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 नियम में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा